मैत्रेयी महाविद्यालय
MAITREYI COLLEGE
दिल्ली विश्वविद्यालय/ University of Delhi

बापूधाम परिसर, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-110021
Bapudham Complex, Chanakyapuri
New Delhi-110021

दूरभाष/ Tel. 91+ 9311331434
दूरभाष/ Tel. 91+ 9311331435
Email: maitreyi1967@yahoo.co.in

संदर्भ सं. एमटी/एलआईबी

दिनांक: 07.04.2025

_____

_____

_____

कॉलेज पुस्तकालय की पुस्तकों को जिल्द चढ़ाने के लिए नमूनों के साथ सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । अनुमानित पुस्तकों की कुल संख्या 1000 है, इन पुस्तकों के अलावा प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रम प्रति को भी जिल्द चढ़ाना है। जिल्दसाजों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक आइटम के लिए अलग-अलग दरों का उल्लेख करें, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, और कृपया जीएसटी दरों को अलग से उद्धृत करें, (यदि कोई लागू हो तो।)

निम्नलिखित प्रकार की जिल्दसाजी के लिए नमूने संलग्न किए जाने हैं:-

1. सुनहरे अक्षर की टूलिंग के साथ आधे चमड़े (Half leather) की जिल्दसाजी (लेखक, शीर्षक, क्लास नंबर)।
2. स्याही टूलिंग के साथ साधारण (Ordinary) जिल्दसाजी (लेखक, शीर्षक, क्लास नंबर)।

क. कपड़े को ऐसे रंगों से रंगा जाए जो प्रकाश के साथ-साथ नमी को भी ध्यान में रखते हों।

ख. सर्वोत्तम बिना प्रक्षालित लिनन की मजबूत बनावट के गोंद टैन।

ग. धागा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला, बिना ब्लीच किया हुआ लिनेन, मजबूत बनावट वाला होना चाहिए।

सफल जिल्दसाज़ को पहली खेप में 500 पुस्तकें जिल्द चढ़ाने की लिए दी जाएगी। पहली बार में वह निर्धारित समय सीमा के भीतर यानी आदेश पत्र की तारीख से 30 दिनों के भीतर 500 जिल्द चढ़ी हुई पुस्तकों को वापस लौटाने की व्यवस्था करेगा, और उसके बाद 500 पुस्तकों की अगली खेप उसे दी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि सामान्य परिस्थितियों में समय सीमा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। समय समाप्त होने के बाद यानी 30 दिन के बाद जिल्दसाज़ यदि 500 किताब नही वापिस कर पाता या कार्य पूरा नही होने की स्थिति में ज़िल्दसाज़ पर 2 % प्रति माह बिलिंग राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।

कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि यह पाया जाता है कि जिल्दसाजी या स्पाइन (Spine) पर टूलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता घटिया है और/या विनिर्देशों या कॉलेज द्वारा अनुमोदित नमूनों के अनुसार नहीं है, तो प्राचार्या/समिति को फर्म की अपनी लागत और जोखिम पर पुनर्बंधन के लिए आदेश देने का अधिकार होगा या भुगतान को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोक दिया जाएगा और/या प्राचार्या/समिति जिल्दसाज़ पर उपयुक्त जुर्माना लगा सकती है। इस संबंध में अंतिम निर्णय प्राचार्या/समिति का होगा और परिस्थितियों के आधार पर फर्म पर बाध्यकारी होगा।

प्राचार्या/समिति के पास बिना कोई कारण बताए कुछ या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने या स्वीकार करने और/या किसी भी फर्म को ऑर्डर देने का अधिकार सुरक्षित है, जरूरी नहीं कि उस फर्म के दर सबसे कम हो उसी को ऑर्डर दिया जाए। सीलबंद लिफाफे में दरों पर विधिवत रूप से "उद्धरण" (पुस्तकालय जिल्दसाजी हेतु कोटेसन) अंकित जाना चाहिए। पुस्तकों की जिल्द चढ़ाने आदि के लिए निविदाएं 06.05.2025 को या उससे पहले कॉलेज पहुंच जानी चाहिए।

भवदीया

हरिमा चोपड़ा

प्राचार्या